

## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 02/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO: 2024/19

### अनवान

- राज्य सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

### बनाम

- श्री शान्तिलाल पालीवाल पिता श्री देवीलाल पालीवाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स सिसौदा भैरुनाथ डेयरी, दुकान न. 25, कुमावतपुरा, चपडा वाली गली, रामद्वारा चौक उदयपुर स्थाईपता करणजी का गुडा पो. कदमाल तह. बडगांव जिला उदयपुर मो.

7710840827

—विपक्षी

### उपस्थित

- श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
- स्वयं विपक्षी।



अनुवर्त धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

### ●निर्णय●

दिनांक 29-07-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सब स्टेण्डर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 05.08.2023 को 1.00 पी.एम वास्ते चेकिंग मैसर्स सिसौदा भैरुनाथ डेयरी, दुकान न. 25, कुमावतपुरा, चपडा वाली गली, रामद्वारा चौक उदयपुर पर पहुँचे, वहाँ विपक्षी श्री शान्तिलाल पालीवाल उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स सिसौदा भैरुनाथ

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
उदयपुर (राज.)



डेयरी, दुकान न. 25, कुमावतपुरा, चपडा वाली गली, रामद्वारा चौक उदयपुर का विक्रेता होना बताया।

निरीक्षण के समय उक्त डेयरी पर एल्यूमिनियम के डब्बे में करीब 7-8 कि.ग्रा. घी आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। सबरस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त घी को डण्डीदार लोटे की सहायता से मिलाकर एकरूप कर 800ग्राम घी एक साफ, सूखे व खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा घी की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 424रु. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा घी को एफ.एस.एस.ए. के तहत नियमानुसार क्रय कर 4 साफ सुथरे खाली प्लास्टिक जारों में नियमानुसार बराबर मात्रा में प्रत्येक जार में डालकर इनका मुंह ढक्कन की सहायता से करसकर एयर टाइट बन्द किया। प्रत्येक जार पर नियमानुसार लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए-2371 का एक-एक भाग प्रत्येक नमूने के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूने के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर में सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर में सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/8208 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/651/एक्ट/2023/651 दिनांक 18.08.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Butyrefractometer Reding at 40°C 40.0-44.0 होना चाहिए था कि जगह 45.3 पाया गया एवं Reichert value 24.0 min. होना चाहिए था कि जगह 21.87% पाया गया तथा Saponification value 205-235 होना चाहिए था कि जगह 200.52 पाया गया तथा Iodine value 25-38 होना चाहिए था कि जगह 52.39 पाया

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
उदयपुर (राज.)



गया। विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है। वक्त निरीक्षण लाईसेन्स रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। दुकान दार छोटा विक्रेता है। दौराने अनुसंधान विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की 2(2)(V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस. एस.ए./2023/8207 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/2313 दिनांक 24.04.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त विक्रेता/मालिक का टर्नओवर 12 लाख वार्षिक से कम है।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि मैं ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति हूँ मुझे कानून की कोई जानकारी नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो निर्देश दिये थे उसकी पालना उसी दिन कर दी थी। मेरे द्वारा जानबुझकर गलती नहीं की गई है। अनजाने में हुए जुर्म को मैं विपक्षी स्वीकार करता हूँ मैं भविष्य में दुबारा ऐसा कृत्य नहीं करूँगा मेने उक्त फर्म को बन्द कर दिया है। और व्यापार भी मैंने बन्द कर अब मैं रिकशा चलाने की नौकरी करता हूँ। मैं गरीब व्यक्ति हूँ मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे बरी करने की कृपा करे। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय डेयरी पर एल्यूमिनियम के डब्बे में करीब 7-8 कि.ग्रा. घी आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से उक्त घी को डण्डीदार लोटे की सहायता से मिलाकर एकरूप कर 800ग्राम घी एक साफ, सूखे व खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
उदयपुर (राज.)

स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया। क्योंकि **Butyrefractometer Reding at 40°C 40.0-44.0** होना चाहिए था कि जगह 45.3 पाया गया एवं **Reichert value 24.0 min.** होना चाहिए था कि जगह 21.87% पाया गया तथा **Saponification value 205-235** होना चाहिए था कि जगह 200.52 पाया गया तथा **Iodine value 25-38** होना चाहिए था कि जगह 52.39 पाया गया।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/- शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। आरोपी एक ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होकर उसे कानून की जानकारी नहीं होना बताया हैं। चूंकि आरोपी ने अपना व्यवसाय बन्द कर दिया है एवं अब रिक्शा चलाने की नौकरी करता है। अतः आरोपी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी आर्थिक दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके विपक्षी आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 26 की 2(2)(V) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹20,000/-रु अक्षरे रूपया बीस हजार मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थों का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



( दीपेन्द्र सिंह राठौर )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
उदयपुर (राज.)